राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्ता का नाम
1.	431/2016	हरदयाल शर्मा(मृतक दौराने अपील) लगायत 1/1 श्रीमती मंजू शर्मा 1/2 मनीष शर्मा 1/3 कमल शर्मा	1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।	श्री महेश चन्द गुप्ता
2.	427/2016	रमेश चन्द गुप्ता	1. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर। 4. अधीक्षक सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जे.के.लोन अस्पताल) जयपुर।	श्री महेश चन्द गुप्ता

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त दोनों अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से न्यायहित में अपील संख्या 431/2016 हरदयाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, दोनों अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 431/2016 में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीया (हरदयाल शर्मा) की मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी के विधिक उत्तराधिकारी इस अपील को आगे चलाना चाहते हैं और उक्त अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करना चाहते हैं।
3. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अपीलार्थीया हरदयाल शर्मा की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीलार्थीया के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाता है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधित शीर्षक को

रिकॉर्ड पर लिया जाता है। अपील संख्या 431/2016 में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 18.12.1979 के द्वारा प्रयोगशाला टेक्निशियन के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने विपक्षी संख्या 3 को वेतन ऐनाबोली के क्रम में प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2001 को प्रस्तुत किया था, कि प्रार्थी की नियुक्ति तिथि 24.12.1979 है, तथा निदेशालय से जारी वरिष्ठता सूची में प्रार्थी का स्थान 544 पर अंकित है तथा प्रार्थी का मूल वेतन दिनाक 01.09.2001 को 6,025/– है प्रार्थी के एक अन्य साथी श्री अजय कुमार सोगानी की नियुक्ति तिथि दिनाक 19.01.1980 है तथा श्री सोगानी वर्तमान में जनाना अस्पताल चांदपोल बाजार जयपुर में कार्यरत है। श्री सोगानी निदेशालय की वरिष्ठता सूची में 554 पर नामांकित है, श्री सोगानी मुझसे कनिष्ठ होते हुए भी उनका मूल वेतन दिनांक 01.03.2000 को 6,375/– रूपये है। अपीलार्थी का माह जुलाई 2015 का बैसिक पे 24,230/– रूपये है, एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रयोगशाला टेक्निशियन अजय कुमार सोगानी जिसकी नियुक्ति तिथि प्रयोगशाला टेक्निशियन के पद पर दिनांक 18.12.1979 की है एवं वरिष्ठता सूची में श्री अजय कुमार सोगानी का वरिष्ठता कमांक 21 है जो कि अपीलार्थी से कनिष्ठ है, श्री अजय कुमार सोगानी वर्तमान में जनाना अस्पताल जयपुर में प्रयोगशाला टेक्निशियन के पद पर कार्यरत है, एवं श्री अजय कुमार सोगानी अपीलार्थी से 2 इन्क्रीमेन्ट का अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है, अजय कुमार सोगानी का बेसिक पे 25,150/– रूपये है, जबकि अपीलार्थी का बेसिक पे 24,230/– रूपये है इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति श्री अजय कुमार सोगानी समान पद पर कार्य करते हुए भी अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है।

4. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> ''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की वेतन विसंगति को दूर किया जाकर अपीलार्थी को, श्री अजय कुमार सोगानी के बराबर 2 इन्क्रीमेन्ट का लाभ दिया जाकर, अजय कुमार सोगानी के बराबर पे फिक्शेशन करने के निर्देश दिये जावे एवं अन्तर की राशि का भुगतान मय ब्याज करने के निर्देश दिये जावे।
>
> यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के हक में उचित समझे दिलवाया जावे।''

5. इसी प्रकार अन्य अपील संख्या 432/2016 में अपीलार्थी रमेश चन्द गुप्ता ने अजय कुमार सोगानीको कनिष्ठ होना बताया है एवं अजय कुमार सोगानी के बराबर पे–फिक्सेशन किये जाने की प्रार्थना की है।

6. दोनों अपीलों में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. उपरोक्त प्रकरणों में दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण से कनिष्ठ व्यक्ति अजय कुमार सोगानी को अपीलार्थीगण से अधिक वेतन प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार वेतन में विसंगति उत्पन्न हुई है। जिसे दूर करने के लिये पूर्व में बार–बार निवेदन किया जा चुका है। अपीलार्थीगण से कनिष्ठ व्यक्ति अपीलार्थीगण से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है। ऐसे में अपीलार्थीगण का वेतन भी उनसे कनिष्ठ व्यक्ति के वेतन के समान होना चाहिए।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस प्रकार किया जाता है कि अपीलार्थीगण की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग जांच करें एंव जांच करने के उपरान्त यदि वेतन विसंगति पायी जाती है तो अपीलार्थीगण को उनसे कनिष्ठ व्यक्ति अजय कुमार सोगानी के बराबर वेतन दिये जाने का लाभ प्रदान किया जाए। अपीलार्थीगण को बकाया राशि देय होने की स्थिति में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी दिया जाए। इस आदेश की पालना 4 माह में सुनिश्चित की जाए।
9. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 431/2016 में एवं आदेश की प्रतिलिपि अन्य अपील संख्या 427/2016 में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)